



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1291/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 33
EXTOL INSTITUTE OF MANAGEMENT
LILY TALKIES CHAURAHA, JAHANGIRABAD
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (120 seat) BCA-PLAIN, (120 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION,
BCOM-MARKETING AND ADVERTISING & ~~XXXX~~

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एक्जैटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

सहा-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ० क्रमांक 1292/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कलम भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी
5/2





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 1293/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 35
JAI-HIND COLLEGE
GRAM MOHLI, SECTOR M, AYODHYA NAGAR BYE-
PASS
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या पट्टिद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

MCOM-ACCOUNT, MCOM-MANAGEMENT

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्र. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5, 6, 7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वार्डेंट एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचय 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पु0कमांक 1294/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिनिधि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग ज.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/जोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाइट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 1293/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 35
JAI-HIND COLLEGE
GRAM MOHLI, SECTOR M, AYODHYA NAGAR BYE-
PASS
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

BPES-PLAIN, PG DIPLOMA-YOGIC SCIENCE

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शारीरिक विकास की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरन्तरता गानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

अभिमानुसार,

सहा-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ०कमांक 1294/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिनिधि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आवुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कलम भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

कमांक 1293/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 35
JAI-HIND COLLEGE
GRAM MOHLI, SECTOR M, AYODHYA NAGAR BYE-
PASS
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-ECONOMICS, BA-HINDI, BA-POLITICAL SCIENCE, BA-SOCIOLOGY, BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, BSC-BIOLOGY, BSC-BOTANY, BSC-CHEMISTRY, BSC-COMPUTER SCIENCE, BSC-MATHEMATICS, BSC-MICROBIOLOGY, BSC-PHYSICS, BSC-ZOOLOGY, MSC-BIOTECHNOLOGY, MSC-BOTANY, MSC-CHEMISTRY, MSC-COMPUTER SCIENCE, MSC-MICROBIOLOGY, MSC-PHYSICS, MSC-ZOOLOGY, PGDCA-PLAIN(30 seat)

शर्तों:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (वदि हो) के संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०कमांक 1294/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।
6. वेबसाइट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1297/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्रचार्य,

College Code: 40
ANAND VIHAR GIRLS COLLEGE
LINK ROAD NO. 174 BUNGLOWS TULSI NAGAR
BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नोक्ति शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, MCOM-ACCOUNT, MCOM-MANAGEMENT

शर्तों:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनिधन क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. छासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनिधन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

सहा-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ० क्रमांक 1298/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कलम भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाइट प्रभाषी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1299/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 41
GANDHI PHOOLVANTI BEN RAJMAL COLLEGE
D-1 DANISH NAGAR HOSHANGABAD ROAD
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्वाइ संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।
महोदय,

विद्या परिषद की स्वाइ समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्राधान्यानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्वाइ निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

BPES-PLAIN, PG DIPLOMA-YOGIC SCIENCE

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनिर्णय क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्वाइ सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनिर्णय 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

सहा-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ० क्रमांक 1300/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रमारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1299/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 41
GANDHI PHOOLVANTI BEN RAJMAL COLLEGE
D-1 DANISH NAGAR HOSHANGABAD ROAD
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्वाइ संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्राधान्यानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्वाइ निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-ECONOMICS, BA-ENGLISH, BA-GEOGRAPHY, BA-HINDI, BA-HISTORY, BA-POLITICAL SCIENCE, BA-SANSKRIT, BA-SOCIOLOGY, BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM HONS-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, BLIB-PLAIN, BSC-BIOTECHNOLOGY, BSC-BOTANY, BSC-CHEMISTRY, BSC-COMPUTER SCIENCE, BSC-ELECTRONICS, BSC-INFORMATION TECHNOLOGY, BSC-MATHEMATICS, BSC-MICROBIOLOGY, BSC-PHYSICS, BSC-ZOOLOGY, MA-ECONOMICS, MA-ENGLISH, MA-HINDI, MA-HISTORY, MA-POLITICAL SCIENCE, MA-SOCIAL WORK, MA-SOCIOLOGY, (25 seat each sub.in M.A.) MCOM-ACCOUNT, MCOM-MANAGEMENT, MSC-BIOTECHNOLOGY, MSC-BOTANY, MSC-CHEMISTRY, MSC-COMPUTER SCIENCE, MSC-MICROBIOLOGY, MSC-PHYSICS, MSC-ZOOLOGY, (25 seat each sub.in M.Sc.) PGDCA-PLAIN(30 seat)

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5, 6, 7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्वाइ संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

अदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०क्रमांक 1300/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करे।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 1301/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 42
JAWAHAR LAL NEHRU COLLEGE
C-56 CIVIL LINES, SHYAMALA HILLS
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08-05-2017 में की गई अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता विम्बांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-ECONOMICS, BA-ENGLISH, BA-HINDI, BA-HISTORY, BA-POLITICAL SCIENCE, BA-SOCIOLOGY, BA-URDU, BBA-PLAIN, (90 seats) BCA-PLAIN, (90 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, BLIB-PLAIN, BSC-AQUACULTURE, BSC-BIOLOGY, BSC-BIOTECHNOLOGY, BSC-BOTANY, BSC-CHEMISTRY, BSC-COMPUTER SCIENCE, BSC-ELECTRONICS, BSC-INFORMATION TECHNOLOGY, BSC-MATHEMATICS, BSC-MICROBIOLOGY, BSC-PHYSICS, BSC-ZOOLOGY, MA-ECONOMICS, MA-ENGLISH, MA-POLITICAL SCIENCE, MA-SOCIOLOGY, MA-URDU, (25 seat each sub.in M.A.) MCOM-ACCOUNT, MLIB-PLAIN, MSC-BIOTECHNOLOGY, MSC-BOTANY, MSC-CHEMISTRY, MSC-COMPUTER SCIENCE, MSC-MATHEMATICS, MSC-MICROBIOLOGY, MSC-PHYSICS, MSC-ZOOLOGY, (25 seat each sub.in M.Sc.) PGDCA-PLAIN(90 seat)

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी स्तर का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

हस्ताक्षर (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०कमांक 1302/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिनिधि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाईट प्रगारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमर्क 1309/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 50
MADAN MAHARAJ COLLEGE
KH- 41 BEHIND KAROND GALLA MANDI, BHANPUR
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता विभिन्न शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

सहा-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ0कमर्क 1310/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1311 / अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 51
MAHARAJA RANJEET SINGH COLLEGE
NEAR K-SECTOR, AYODHYA NAGAR, BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

BBA-PLAIN, (60 seat.) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आव-व्यय पत्रक चार्टर्ड एक्जैजेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शारीरिकी की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ०क्रमांक 1312/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाइट प्रगारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 13/3 /अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 52
VIKRAMADITYA COLLEGE
282, M.P. NAGAR, ZONE-II
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (30 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-OFFICE MANG. AND SECRETARIAL PRAC., BCOM-PLAIN, BCOM-PRINCIPLES AND PRACTICE OF MANAGEMENT, BCOM-TAX PROCEDURE AND PRACTICES, BLIB-PLAIN, MCOM-ACCOUNT, MCOM-MANAGEMENT, MLIB-PLAIN, PGDCA-PLAIN(20 seat)

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनिवम क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनिवम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०कमांक 13/4 /अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाइट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 1317/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 59
NEW TAKSHSHILA COLLEGE KAROND
NISHATPURA BERSA ROAD BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनेपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता विनियोजित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-ECONOMICS, BA-ENGLISH, BA-HINDI, BA-POLITICAL SCIENCE, BA-SOCIOLOGY,
BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-
PLAIN, MA-SOCIOLOGY, MCOM-ACCOUNT, MCOM-MANAGEMENT

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनिधिम क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में विद्युत् विश्वविद्यालय परिनिधिम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

हय-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू.कमांक 1318/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आवुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/जोषनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1321 / अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 64
MAHARISHI CENTER FOR EDUCATION
EXCELLANCY
LAMBAKHEDA, BERSASIA ROAD
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-ECONOMICS, BA-HISTORY, BA-POLITICAL SCIENCE, BA-SOCIOLOGY, BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5, 6, 7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

पु.क्रमांक 1322/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आवुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाइट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

आदेशानुसार,
उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

सहा-कुलसचिव, अकादमी





कमांक
प्रति,

1333

/अकादमी/संबद्धता/2017

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 77
SECT COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION
SCOPE CAMPUS, NH-12 HOSHANAGABAD ROAD
NEAR MISROD
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (90 seat) BCOM-ADVERTISING, BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, BCOM-TAX PROCEDURE AND PRACTICES, BSC-COMPUTER SCIENCE, BSC-ELECTRONICS, MCOM-ACCOUNT, MCOM-MANAGEMENT, MSC-COMPUTER SCIENCE, (25 seat.) PGDCA-PLAIN(30 seat)

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

अधेशानुसार,

प्र.कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ०कमांक 1334/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग सं.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाइट प्रभाषी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

क्रमांक 1337 / अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 83
ALL SAINTS COLLEGE OF SCIENCE AND
COMMERCE
IDGAH HILLS ROAD BHOPAL 462001
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, MCOM-MANAGEMENT

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निषेध की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,
उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०क्रमांक 1338 / अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिनिधि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेबसाईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 1339/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

प्राचार्य,

College Code: 85
BHOJ MAHAVIDYALAYA BHOPAL
81, AKASH NAGAR KOTRA SULTANABAD BHOPAL
BHOPAL

भोपाल, दिनांक 20/5/17

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता विनियमित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5, 6, 7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी बिक्रय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ०कमांक 1340/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनायें।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 134/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 91
INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION AND
RESEARCH (
OPP BRITISH PARK 11 MILE HOSHANGABAD ROAD
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (120 seat) BCOM HONS-PLAIN, (120 seat) BCOM-FOREIGN TRADE PRAC
AND PROC, BCOM-MARKETING AND ADVERTISING

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

सहा-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०कमांक 134/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 1344/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 94
DAV COLLEGE
DAV COLLEGE NEAR KATJU HOSPITAL T T NAGAR
BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जा रही है :-

BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०कमांक 1344/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय कलम भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरंतरता
सत्र 2017-18

कक्षांक 1347 अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्रचार्य,

College Code: 97
PT. BHORILAL GAYATRI MEMORIAL COLLEGE
NEAR BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL, KAROND,
BHOPAL
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अरवाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08-05-2017 में की गई अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अरवाई निरंतरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

BBA-PLAIN, (60 seat) BCA-PLAIN, (60 seat) BCOM-COMPUTER APPLICATION, BCOM-PLAIN, PGDCA-PLAIN(20 seat)

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5, 6, 7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अरवाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
म

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पृ०कक्षांक 1348 अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिनिधि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के विजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

म





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

कमांक 1347/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/5/17

प्राचार्य,

College Code: 97
PT. BHORILAL GAYATRI MEMORIAL COLLEGE
NEAR BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL, KAROND,
BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्राधान्यानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता विन्यासित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

PG DIPLOMA-YOGIC SCIENCE

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
3. महाविद्यालय का आव-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरन्तर मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिचयन 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार

उच्च-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/5/17

पू०कमांक 1348/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिनिधि:-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएँ।
6. वेबसाइट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साइट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव अकादमी

